राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/6070 दिनांकः 17/12/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 – दिनांक 04.12.2019 को निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् दावों व आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में।
संदर्भः–आयोग का पत्रांक 4651 दिनांक 04.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु प्रेषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक **04.12.2019** नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् दिनांक 13.12.2019 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्ररूप 1, 2, एवं 3 में प्राप्त किए गए दावों व आपत्तियों की आप द्वारा प्रेषित की गई सूचना की जिलेवार स्थिति पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

इस संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम–14 सं 16 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्राप्त दावों व आपत्तियों का निस्तारण आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि दिनांक 20.12.2019 तक किया जाना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारियों से अपेक्षा है कि आप द्वारा दावों व आपत्तियों का निस्तारण हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही की प्रतिदिन समीक्षा की जाए।

आज्ञा से,
17/12
(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान